10.9.25

पत्रावली पेश है। वकील वादी उप.
वकील वादी को बाद दायर दिनांक 14.10.22
से 12 तारीख पेशी निकल जाने पर प्रतिवादीगण की तामील निर्देश उपस्थित नहीं
नहीं करवाई जा रही है जो प्रकरण के
औचित्य की अवहेलना की श्रेणी मे आता
है।

अतः वाद वादी बाँक कर्मचारियों में
खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर
से कम हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल
दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर